प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" की दिनांक 16.09.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

प्रदेश के 16 नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन तथा आगामी शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों की समीक्षा प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा की गयी। बैठक में एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ-साथ प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हित 16 नॉन अटेन्मेन्ट शहरों से संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में वायु प्रदूषण संबंधी जटिल समस्या पर विशेषज्ञ के सुझाव लिये जाने के दृष्टिगत श्री केशव वर्मा, सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 एवं प्रो0 मुकेश शर्मा, सिविल इंजीनिरिंग डिपार्टमेन्ट, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा भी बैठक में प्रतिभाग कर अपना बहुमूल्य मार्ग दर्शन प्रदान किया गया।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी तथा बैठक में प्रतिभाग किये सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 16 नॉन अटेन्मेन्ट नगर चिन्हित है। चिन्हित नान अटेन्मेन्ट नगरों में पूर्व से चिन्हित 15 नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजनाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से अनुमोदित कराकर क्रियान्वित की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त समस्त 15 नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में "ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान"भी लागू है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में सम्मिलित नगर मेरठ हेतु भी कार्ययोजना निरूपित की जा रही है। वायु प्रदूषण में कमी लाने हेतु दीर्घकालीन योजनाओं एवं अल्पकालीन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजनाएं निर्मित होती है। अल्पकालिक योजनाओं को क्रियान्वित करके वायु प्रदूषण में त्वरित एवं महत्वपूर्ण कमी लायी जा सकती है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि शीतकाल में नगरों के वायु प्रदूषण में तापमान में कमी तथा फॉग के कारण प्रायः बढोत्तरी देखी जाती है। अतः इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य अगामी शीतकाल में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायों तथा पूर्व तैयारी की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाना भी है। तत्पश्चात सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा बैठक के दौरान दिये गये प्रस्तुतीकरण के दौरान नगरों की वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार कारको/स्त्रोतों, वायु प्रदूषण में कमी लाये जाने हेतु किये गये उपायों, वायु प्रदूषण के संबंध में निर्मित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन आदि के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर वर्तमान स्थित एवं भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गयाः-

- ➢ पर्टीकुलेट मैटर के प्रमुख स्त्रोत
- ➢ वायु गुणता अनुश्रवण नेटवर्क
- ➢ सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी
- ➢ वर्ष-2018 की तुलना में वर्ष-2019 की वायु गुणता का तुलनात्मक विवरण
- ➢ वर्ष-2018 एवं 2019 में शीतकाल में वायु गुणता सूचकांक का तुलनात्मक विवरण
- ➢ विभिन्न विभागों से प्राप्त माइक्रोप्लान
- ➢ नगर निगम एवं वन विभाग को विभिन्न मदों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं उनके उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रगति।

प्रो0 मुकेश शर्मा, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा कानपुर एवं आगरा नगर में की गयी सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी के विषय में अवगत कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं आई0आई0टी0, कानपुर के परस्पर समन्वय की सराहना की गयी। प्रो0 मुकेश शर्मा द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा किये जा रहे कानपुर तथा आगरा नगर के सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी की रिपोर्ट दो से ढाई माह के अन्दर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी के बारे में लगने वाले समय के विषय में इनके द्वारा अवगत कराया गया कि नगरों की सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी में परम्परागत वायु गुणता के अतिरिक्त 70–80 प्रकार के अन्य कारकों/प्रदूषकों का भी अनुश्रवण किया जाना आवश्यक होता है। जिससे यह ज्ञात हो सके की संबंधित नगर के वायु प्रदूषण में किस स्त्रोत की कितनी भागीदारी है। इस हेतु **जी0आई0एस0 प्लेटफार्म** आदि का भी उपयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण इस लिये भी है कि स्त्रोत चिन्हित होने पर इस पर नियंत्रण की कार्यवाही कर, वायु प्रदूषण में कमी लायी जा सकती है।

प्रो0 मुकेश शर्मा द्वारा कानपुर तथा आगरा नगरों में किये जा रहे सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी के संबंध में अवगत कराया गया कि कानपुर नगर की वायु गुणता में रोड से जनित डस्ट की भागीदारी 20 से 30 प्रतिशत, वाहनों से 13 प्रतिशत, म्युनिसपल सालिड वेस्ट से 10 प्रतिशत तथा बायोमॉस के जलने से 15 प्रतिशत पायी गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि कुछ अन्य सोर्स नगर के बाहर से भी प्रभाव डालते है।

इसी प्रकार आगरा नगर के सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी के संबंध में अवगत कराते हुए बताया गया कि आगरा नगर की वायु प्रदूषण में रोड से जनित डस्ट की भागीदारी 35 प्रतिशत पायी गयी है। इसके अतिरिक्त आगरा शहर के 20 से 25 किमी0 परिधि के अन्तर्गत स्थापित ईट भट्ठों से जनित उत्सर्जन की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है।

प्रो0 मुकेश शर्मा द्वारा बताया गया कि शीतकाल में रोड डस्ट की समस्या अधिक पायी गयी। नगरों की वायु प्रदूषण में कमी लाये जाने हेतु रोड से जनित डस्ट, म्युनिसपल सालिड वेस्ट बर्निंग, बायोमॉस बर्निंग, ट्रैफिक कन्जेशन आदि पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।कानपुर एवं आगरा नगर में की गयी सोर्स अर्पोसन्मेन्ट स्टडी की अन्तरिम रिपोर्ट संबंधित नगरों के प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री केशव वर्मा, सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा बीजिंग नगर, चीन के अनुभवों को साझा करते हुए विभागों तथा अधिकारियों की व्यक्तिगत जबावदेही निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। अग्रेतर श्री केशव वर्मा द्वारा नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण की सराहना की गयी तथा नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु अपने सुझाव दिये गये जो कि निम्नानुसार है:–

- लैण्ड फिलिंग हेतु वैज्ञानिक तरीके से स्थल का चयन किया जाये।
- पर्यावरण विभाग द्वारा कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम का गठन किया जाये।
- चौराहो पर यातायात सुगम किये जाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री वर्मा द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में मॉनीटरिंग नेटवर्क के विस्तार पर भी बल दिया गया। श्री वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के नगरों में डस्ट नियंत्रण, ट्रैफिक जाम, निर्माण गतिविधियों मे डस्ट नियंत्रण इत्यादि कार्यो हेतु प्रभावी कार्यवाही करने पर प्रदूषण के स्तर में लगभग 20 से 30 प्रतिशत की कमी आने की सम्भावना व्यक्त की गयी।

श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि रोड डस्ट का प्रमुख कारण निर्माण में उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री का खुले में विक्रय, संग्रहण एवं संवहन है। उनके द्वारा नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि रोड वाशिंग हेतु प्लान बना लिए जाये। निर्माण कार्यो हेतु सामाग्री को खुले में न रखा जाये एवं इनको खुले में न ले जाया जाये। इस हेतु टीमें गठित कर कार्यवाही का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

बैठक के दौरान विभिन्न नगरों के नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आगामी शीतकाल में सम्भावित वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति प्रस्तुत की गयी तथा आगामी शीतकाल के दौरान सम्भावित प्रदूषण से निपटने हेतु कार्ययोजना एवं पूर्व तैयारी के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया।

बैठक में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी के नगर निगम एवं प्रभागीय वनाधिकारीयों को अवमुक्त धनराशि की प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण कर अवगत कराया गया कि व्यय की प्रगति अत्यंत धीमी है। नगर निगमों में व्यय हेतु टेण्डर व आपूर्ति आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित कर व्यय की प्रगति लाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रभागीय वनाधिकारीयों के स्तर पर भी एक ओर तो स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध पूर्ण कार्ययोजनाएं प्रस्तुत नहीं की गयी हैं वहीं दूसरी ओर स्वीकृत कार्ययोनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति भी धीमी है। बैठक के अंत में समस्त विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श कर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये–

1. समस्त 15 नॉन अटेनमेन्ट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये एवं इसका मासिक अनुश्रवण जिला पर्यावरण समिति के द्वारा किया जाये।

   (कार्यवाहीः अध्यक्ष/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं समस्त संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधि0)

2. आगामी शीतकाल में सम्भावित प्रदूषण के दृष्टिगत "ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान" का प्रभावी क्रियान्वयन एवं पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाये तथा 15 अक्टूबर, 2020 के पश्चात साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तरीय समितिओं के द्वारा की जाये।

   (कार्यवाहीः अध्यक्ष/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं समस्त संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधि0)

3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त 16 नॉन अटेनमेन्ट शहरों में चिन्हित प्रदूषण हॉटस्पाट्स (ट्रैफिक, कन्सट्रक्शन, रोड डस्ट, औद्योगिक, गार्वेजबर्निंग इत्यादि) पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु संबंधित विभागों द्वारा एक सप्ताह में कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

   (कार्यवाहीः अध्यक्ष/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं समस्त संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधि0)

4. समस्त बड़ी निर्माण परियोजनाओं में उचित स्थल पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार पी0टी0जेड कैमरा की स्थापना कर उसकी ओपेन एक्सेस उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व निर्माण विभागों द्वारा डस्ट प्रदूषण की सतत् रिमोट मॉनीटरिंग कर डस्ट उत्सर्जन पाये जाने पर विधिक/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

   (कार्यवाहीः अध्यक्ष/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सी0ई0ओ0 नोएडा, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. समस्त निर्माण परियोजनाओं के द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबपोर्टल <u>www.upecp.in</u> पर डस्ट कन्ट्रोल आडिट का स्वमूल्यांकन अपलोड कर प्रभावी डस्ट कन्ट्रोल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   (कार्यवाहीः अध्यक्ष/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सी0ई0ओ0 नोएडा, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर की सड़कों में डस्ट लोड का आँकलन कराकर उसकी सूचना नगर निगम/विकास प्राधिकरण/नोएडा अथारिटी को उपलब्ध करायी जाये। जहां पर रोड डस्ट लोड अधिक पाया जाता है वहां पर प्रभावी तरीके से ट्रीटेड वाटर से नाईट वाशिंग एवं वैक्यूम क्लीनिंग सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाहीः सी.ई.ओ., नोएडा, सी.ई.ओ., यूपीसीडा, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण एवं यू.पी.पी.सी.बी.)

7. 16 नगरों की मुख्य सड़कों में गडढा मुक्तिकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर 15 अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण करा लिया जाये।

(कार्यवाहीः नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एवं नोएडा अथारिटी)

8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) में मा0 सर्वोच्य न्यायालय एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार समस्त निर्माण परियोजनाओं, ट्रैफिक कंजेशन प्वाईंट्स इत्यादि में एंटी स्मॉग गन की स्थापना 15 अक्टूबर, 2020 के पूर्व अवश्य पूर्ण कर ली जाये।

(कार्यवाहीः संदर्भित जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सी.ई.ओ. नोएडा अथारिटी, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी एवं निर्माण एजेन्सीज)

9. प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना से संबंधित विभाग विभिन्न माध्यमों यथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के समीर एप, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु एप, आई.जी.आर.एस., ई-मेल इत्यादि माध्यमों से प्राप्त जन शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करें, ताकि प्रदूषण नियंत्रण में आम नागरिक का सहयोग एवं विश्वास प्राप्त हो सके।

(कार्यवाहीः काययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

10. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रीनिंग एवं पेविंग एक्टिविटी से संबंधित अवशेष कार्ययोजनाओं को एक सप्ताह में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाहीः डी0एफ0ओ0 लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा एवं प्रयागराज)

11. नगर निगमों को विभिन्न मदो में प्राप्त धनराशि की वित्तीय भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाये। उपलब्ध धनराशि का नियमानुसार उपयोग शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाहीः नगर आयुक्त, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा एवं प्रयागराज)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-875/81-7-2020-09(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री केशव वर्मा, सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहर नियोजन/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/परिवहन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/कृषि/उद्यान/खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा अथारिटी।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), अमरोहा (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।
9. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
11. प्रो0 सच्चिदानन्द त्रिपाठी, आई0आई0टी0, कानपुर।
12. प्रो0 मुकेश शर्मा, आई0आई0टी0, कानपुर।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, ईस्ट/वेस्ट, एन0एच0आई0, लखनऊ।
14. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), अमरोहा (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।
15. प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), अमरोहा (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली एवं मेरठ।
17. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4/5, उ0प्र0 शासन।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(signature)

(भारत प्रसाद)
अनुसचिव